

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/124824/PRG/PRATAPGARH/857/CFO

दिनांक: 15-07-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैंसे B L SUDHITA INTERNATIONAL SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 41 42 43, SAHERUA VISHWANATHGANJ PRAYAGRAJ ROAD PRATAPGARH, PRATAPGARH तहसील - SADAR जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
B L SUDHITA INTERNATIONAL SCHOOL	2	0	7.5 mt.

तथा प्लॉट एरिया 10940 sq.mt है। भवन का अधिभोग B L SUDHITA INTERNATIONAL SCHOOL (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरी के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक 19-07-2024 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री RAMJI LAL JAISWAL adarshrock9@gmail.com 8874678100 के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal offire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 20-07-2024 से 20-07-2027 तक 3 वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत है।
भवन में दांचागत एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हेतु लो राईज भवनों एवं मिक्स आक्यूपेन्सी की अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र हेतु शासनादेश संख्या: 18/छ-पु0-2022/905(34) /2016 टी0सी0 दिनांक: 07.01.2022 के दिशा निर्देशों व एन0बी0सी0-2016 का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने की जिम्मेदारी भवन प्रबन्धक की होगी तथा भवन के दांचागत सुरक्षा व्यवस्था हेतु सम्बन्धित विभाग से प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है। विजली के लोड इत्यादि से सम्बन्धित समय-2 पर विद्युत विभाग से निरीक्षण कराकर विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अतिआवश्यक है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 20-07-2024
स्थान : PRATAPGARH

Raju

A1B818470E55A0F150A886172F6323C964758F29

20-07-2024